राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1496/2009

सत्तार खान पुत्र श्री कौदीन, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम खोचपुरी तहसील महुहा जिला दौसा, राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जिला परिषद दौसा, जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दौसा, राजस्थान।

2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, महुआ, जिला दौसा, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : श्री डी. पी. शर्मा

प्रतिवादी(गण) की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह नरुका, एएजी

श्री केसर सिंह शेखावत, एजीसी के साथ

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

<u>05/02/2025</u>

रिपोर्ट करने योग्य

1. इस याचिका को दायर करके, आक्षेपित आदेश दिनांक 20.01.2009 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा नरेगा योजना के तहत रोजगार सहायक के पद पर याचिकाकर्ता के संविदात्मक रोजगार को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया है कि वह मुस्लिम समुदाय में 'तेली' जाति से संबंधित है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (संक्षेप में, "ओबीसी श्रेणी") के दायरे में नहीं आती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा जारी विज्ञापन (अनुलग्नक-1) के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को नरेगा योजना के तहत रोजगार सहायक के पद पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक मुस्लिम-तेली है जो ओबीसी की श्रेणी में आता है और इस संबंध में ओबीसी प्रमाण पत्र भी उसे सक्षम प्राधिकारी, यानी तहसीलदार महुआ, जिला दौसा द्वारा जारी किया गया था और उसी के आधार पर, याचिकाकर्ता को रोजगार की पेशकश की गई थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार, तेली जाति ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आती है और परिपत्र दिनांक 08.11.1994 के अनुसार, एक व्यक्ति जो तेली जाति से है, चाहे वह हिंदू समुदाय से हो या गैर-हिंदू समुदाय से, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

3. इसके *विपरीत,* राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि

याचिकाकर्ता एक मुस्लिम-तेली होने के नाते ओबीसी की श्रेणी में नहीं आता है और इसीलिए, वह ओबीसी श्रेणी का लाभ पाने का हकदार नहीं है और तदनुसार, प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की संविदा के आधार पर नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जातियों की एक सूची जारी की गई है जिसमें मुस्लिम-तेली को ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं रखा गया है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता खुद को ओबीसी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति/उम्मीदवार होने का दावा नहीं कर सकता है और प्रतिवादियों ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसमें इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

4. बार में दी गई दलीलों को सुना और विचारा गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय से है और वह खुद को "तेली" जाति से संबंधित व्यक्ति होने का दावा कर रहा है। सक्षम प्राधिकारी, यानी तहसीलदार महुआ ने परिपत्र दिनांक 27.08.1993 के आलोक में याचिकाकर्ता को एक ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय की तेली जाति से संबंधित है।

6. याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज, यानी राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान गजट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि "तेली" जाति ओबीसी की श्रेणी में आती है। आधिकारिक गजट राजस्थान राज्य द्वारा 06.08.1994 को जारी किया गया है और उसके बाद, राजस्थान सरकार के न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा 08.11.1994 को एक परिपत्र भी जारी किया गया था,

जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि "तेली" जाति ओबीसी की श्रेणी में आती है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यक्ति हिंदू है या गैर-हिंदू, इस संबंध में परिपत्र स्पष्ट और विशिष्ट है।

7. इसके बाद, उसी विभाग, यानी न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा 28.08.2009 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 'तेली' जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया और उक्त अधिसूचना से जुड़ी एक व्याख्या स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि, वे सभी जातियाँ, जो अपने संबंधित पारंपरिक वंशानुगत व्यवसायों के नाम से जानी जाती हैं और जिनके सदस्य विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, उनमें उन जातियों के सभी सदस्य शामिल हैं, भले ही वे हिंदू धर्म या इस्लाम या किसी अन्य धर्म का पालन करते हों (संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 19.06.2003 देखें)।

8. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि तेली एक जाति है जो पारंपरिक रूप से भारत, नेपाल और पाकिस्तान में तेल निकालने के काम में लगी हुई है, और इस जाति के सदस्य हिंदू या मुस्लिम हो सकते हैं, और मुस्लिम-तेली को रोशनदार या तेली मलिक भी कहा जाता है।

9. तेली जाति/समुदाय को राजस्थान राज्य में ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टि संख्या 51 पर शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता का यह दावा कि तेली जाति से होने के कारण वह ओबीसी श्रेणी से संबंधित है, केवल इसलिए अमान्य कर दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय से है। प्रतिवादियों की ऐसी कार्रवाई न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.08.2009 के विपरीत होने के कारण वैध नहीं है। इसमें उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो अपने पारंपरिक

वंशानुगत व्यवसायों द्वारा 'तेली' हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे हिंदू, इस्लाम या किसी अन्य धर्म का पालन करते हैं और इस तथ्य को संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 19.06.2003 द्वारा और स्पष्ट किया गया है।

10. यह न्यायालय प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए इस रुख में कोई औचित्य नहीं पाता है कि याचिकाकर्ता तेली होने और मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने के कारण ओबीसी श्रेणी के दायरे में नहीं आता है और प्रतिवादियों को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले उपरोक्त अधिसूचना पर विचार करना आवश्यक था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाने योग्य है और तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है। याचिका स्वीकार की जाती है।

11. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त अधिसूचनाओं दिनांक 28.08.2009 और 19.06.2003 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित हो और उन सभी दस्तावेजों को पेश करे जिन पर वह एक महीने की अवधि के भीतर एक आवेदन के साथ भरोसा करता है और प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर निर्णय ले, और यदि, याचिकाकर्ता का दावा ओबीसी श्रेणी के तहत उसकी जाति 'तेली' के आधार पर नियुक्ति के लिए वैध पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति को सभी परिणामी लाभों के साथ तुरंत बहाल किया जाए।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

13. स्थगन प्रार्थना और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी निस्तारण किया जाता है।

14. आदेश समाप्त करने से पहले, राजस्थान सरकार के सभी विभागों को एक सामान्य परमादेश जारी किया जाता है कि वे उन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को ओबीसी श्रेणी के आरक्षण का लाभ देने से इनकार न करें जो राज्य द्वारा जारी गजट अधिसूचना में आने वाली जाति से संबंधित हैं, जो ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ प्रदान करती है।

15. इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, न्याय और समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

(अनूप कुमार ढंड), जे

आयुष शर्मा /61

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़